

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

मूल, राजस्व वाद संख्या: 72/2016
पुनर्दर्ज, राजस्व वाद संख्या: 162/2017

दायर दिनांक 10.05.2016
दायर दिनांक 13.11.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना पुत्र मोहम्मद हुसैन, जाति-मुसलमान समणीगर, निवासी-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, नागौर, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 3. जाकिर हुसैन पुत्र मो. हुसेन, 4. मो. युसुफ पुत्र मो. हुसेन, 5. मो. रमजान पुत्र अब्दुल सलाम, जाति-मुसलमान समणीगर, निवासी-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:-


1. सर्वश्री, विकास सीवाल व मोहम्मद रफीक, अधिवक्तागण, वादी।

--:: निर्णय ::--

दिनांक 04.07.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, साबिक खेत संख्या 160 रकबा 47.04 बीघा वाकै शरहद अमरपुरा अवस्थित था जो कि वक्त रि-सैटलमेन्ट तक किसी नेतिया पुत्र गुला भाट की खातेदारी में अंकित रहा। वक्त सैटलमेन्ट के इस साबिक खेत खसरा नम्बर 160 के वर्तमान खसरा नम्बर 298 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.14 बीघा व खसरा नम्बर 300 रकबा 45.18 शरहद अमरपुरा अंकित हुए। नकल पेश है।

साबिक खसरा नम्बर 160 रकबा 47.04 बीघा वाकै शरहद अमरपुरा के तथाकथित अंकित खातेदार ने हस्ब जैल पड़ौस बीच की 04 बीघा भूमि गनी वल्द सिलावट निवासी डीडवाना को विक्रय की एवं उक्त गनी वक्ल करीम बक्ष सिलावट निवासी डीडवाना ने उक्त खसरा नम्बर 160 वाकै शरहद अमरपुरा में से खरीदशुदा कब्जाकाश्त की उक्त 04 बीघा


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 72/2016
 दावर दिनांक 10.05.2016, निर्णय दिनांक 04.07.2018
 अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर नागौर, वगैर।

भूमि जरिये पंजीकृत बैचाणनामा दिनांक 05.08.1965 के वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 06 के पिता मोहम्मद हुसेन पुत्र मांगीलाल समणीगर निवासी डीडवाना को बैचाण कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। नकल पेश है।


वादी व प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 06 के पिता मोहम्मद हुसेन ने वाके शरहद अमरपुरा की अपनी खरीदशुदा कब्जाकाशत की बाद वर्णित भूमि रकबा 04 बीघा में एक कमरा, पानी का होद व दो चूना पकाने के भट्टे निर्मित किये जो कायम है।

वादग्रस्त भूमि के खातेदार नेतिया वाद बैचाण के माफिक इन्द्राज खतौनी के पाकिस्तान चला गया जिससे वर्ष 2010-2013 तक नेतिया बल्द गुला अंकित रहा। इसके बाद में नेतिया बल्द गुला कौम भाट सा. देह खातेदार अंकित रहा, जो कि सम्वत् 2021-2024 तक अंकित रहा एवं वक्त रि-सैटलमेन्ट के साविक खसरा नम्बर 160 रकबा 47.04 बीघा शरहद अमरपुरा के वर्तमान खसरा नम्बर 300 रकबा 45.18 बीघा, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.12 बीघा व खसरा नम्बर 299 रकबा 0.14 बीघा की खातेदारी महकमा करस्टोडियन के नाम से अंकित कर दी गयी। नकल खतौनी सम्वत् 2010-2013, 2021-2024 व 2025-2028 दावा के साथ पेश है।

राज्य सरकार ने महकमा करस्टोडियन की खातेदारी में अंकित सभी भूमियों को राज्य सरकार की खातेदारी में अंकित कर दिया और वर्तमान में खसरा नम्बर 300 रकबा 45.18 बीघा, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.12 बीघा व खसरा नम्बर 299 रकबा 0.14 बीघा की खातेदारी राज्य सरकार की खातेदारी में है नकल पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 06 के पिता मोहम्मद हुसेन का दिनांक 27.05.2017 को स्वर्गवास हो गया व उन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपनी समस्त सम्पत्ति का अपने उत्तराधिकारीगण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 के बीच दिनांक 28.09.2010 को बन्तवारा लिखवाकर नोटेरी से प्रमाणित करवा दिया जिसके मुताबिक अन्य सम्पत्ति सहित मौजा अमरपुरा के 04 बीघा वादी को बन्ट में दी गयी जिस पर वादी लगातार काबिज चला आ रहा है। नकल बन्तवारा पेश है।

वादग्रस्त भूमि पर वादी अपने पिता के इन्तकाल के बाद से काबिज है। वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के नाम से अंकित रहने से वादी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये हैं। अतः दावा बाबत घोषणा


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 72/2016
 दायर दिनांक 10.05.2016, निर्णय दिनांक 04.07.2018
 अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना बगाम् राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर नागौर, वगैरा।

खातेदारी लाजमी है। हल्का पटवारी द्वारा वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल की धमकी देने से दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पेश है।

बिनाय दावा, हल्का पटवारी द्वारा बेदखली की धमकी देने से उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि-


वाद वर्णित खसरा नम्बर 160 रकबा 47.04 बीघा वाकै शरहद अमरपुरा के वर्तमान खसरा नम्बर 300 रकबा 43.08 बीघा वाकै शरहद अमरपुरा में से वादी के पिता स्वर्गीय मोहम्मद हुसेन की खरीदशुदा भूमि वाद वर्णित पड़ोस के बीच वादी के बन्त में आई हुई कब्जाकारत की रकबा 04 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के नाम से घोषित की जावे। वादी के हक में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण न्याय आपकें द्वार, 2017 राजस्व कोर्ट कैम्प में पेश हुआ था। पत्रावली का अवलोकन व विचार कर आवश्यक दस्तावेजात् वादी के अभाव में मूल राजस्व वाद संख्या 72/2016, दिनांक 25.05.2017 को खारिज किया गया।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के पेश हुआ जो कि बतौर मुकदमा नम्बर 72/2016 दिनांक 13.11.2017 को पुनः नम्बर पर होकर मूल वाद में वादी को सुनावार्ड का अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद इत्तला के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद के समर्थन में वादी का शपथ-पत्र, जमाबन्दी ग्राम अमरपुरा सम्वत् 2010-13 की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा गिरदावरी (चतुर्थवर्षीय) ग्राम अमरपुरा की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा पत्रक की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम अमरपुरा सम्वत् 2069-2072 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

एकपक्षीय बहस विद्वान वकील वादी सुनी गयी। वकील ने निवेदन किया कि शरहद अमरपुरा में खसरा नम्बर 300 रकबा 43.08 बीघा में से वादी के पिता स्वर्गीय मोहम्मद हुसेन की खरीद शुदा रकबा 04 बीघा है, जिसका नामान्तरकरकरण सहवन से दर्ज नहीं करवाया जा सका तथा वाद में उक्त जमीन महकमा कस्टोडियन के नाम से दर्ज हो गयी। अतः उक्त खरीद शुदा जायगा को वादी के नाम से घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे। वाद का किसी पक्षकार ने खण्डन नहीं किया है। पत्रावली का अवलोकन किया। एकपक्षीय बहस पर मनन किया। तत्सम्वन्धी विधि का अध्ययन किया।


 सुभाषक कलेक्टर
 डीडयाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 72/2016
 दायर दिनांक 10.05.2016, निर्णय दिनांक 04.07.2018
 अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना बनाम् राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर नागौर, वगैरा।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में, शरहद अमरपुरा में खसरा नम्बर 300 रकबा 43.08 बीघा भूमि में से वादी के पिता स्वर्गीय मोहम्मद हुसेन की खरीद शुदा भूमि रकबा 04.00 बीघा की खातेदारी वादी के नाम से घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी, बाद विवेचना डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद अमरपुरा में खसरा नम्बर 300 रकबा 43.08 बीघा में से रकबा 04.00 का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


 (उत्तमसिंह शेखावत)
 सहायक कलक्टर
 R.A.S.
 सहायक कलक्टर (नागौर)
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।


 (उत्तमसिंह शेखावत)
 सहायक कलक्टर
 R.A.S.
 सहायक कलक्टर (नागौर)
 डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्दाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

मूल, राजस्व वाद संख्या: 72/2016
पुनर्दर्ज, राजस्व वाद संख्या: 162/2017

दायर दिनांक 10.05.2016
दायर दिनांक 13.11.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना पुत्र मोहम्मद हुसैन, जाति-मुसलमान समणीगर, निवासी-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, नागौर, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 3. जाकिर हुसैन पुत्र मो. हुसेन, 4. मो. युसुफ पुत्र मो. हुसेन, 5. मो. रमजान पुत्र अब्दुल सलाम, जाति-मुसलमान समणीगर, निवासी-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
	बनाम्

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 88, 188, R.T.Act.

दिनांक 04.07.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई सर्वश्री, विकास सीवाल व मोहम्मद रफीक, अधिवक्तागण, वादी ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद अमरपुरा में खसरा नम्बर 300 रकबा 43.08 बीघा में से रकबा 04.00 का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....


.....-..... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..... -

आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.07.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)
 डीडवाना